FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 14 / 2020 प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2020	सुआमोटो प्रकरण जिस परतहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व / 2020 / 814 दिनांक 01.09.2020 द्वारा ग्राम बड़ी का बाड़िया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 1795 रकबा 32.13 बीघा किस्म बंजड़ मे से रकबा 1.00 बीघा भूमि में से करेड़ा भीम रोड़ से ग्राम बड़ी का बाड़िया के मजरा खल्या तक मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई जो मौके पर चालू रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है जिसके समर्थन में सम्बत् 2072 से 2075 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का थाणा के तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12.10.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा	
12.10.2020	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीदार की रिपोर्ट / अभिशंषा उचित प्रतीत होती है।अतःसुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **:: आदेश ::** अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बड़ी का बाड़िया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 1795 रकबा 32.13 बीघा किस्म बंजड़ मे से रकबा 1.00 बीघा भूमि में से करेड़ा [illegible] बाड़िया के मजरा खल्या तक मौके पर ग्रेवल सड़[illegible] जो मौके पर चालू रास्ता है को, राजस्[illegible] नक्शे एवं परिशिष्ट–'ए' में व[illegible] कर अम[illegible] की कार्यवाही [illegible] पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश [illegible]रे। मिसल फैसल [illegible] होकर नम्बर से कम हो। (महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर,करेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 08:28:41 IST
Reason: SelfAttested